Demand for repealing the Places of Worship Act, 1991 to maintain social and communal harmony

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान भारत सरकार के उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्रावधानों की ओर आकर्षित करता हूँ। महोदय, उपासना स्थल अधिनियम, 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त, 1947 को थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। मान्यवर, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्रावधान है कि श्री राम जन्मभूमि मुकदमे के अतिरिक्त, अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे एक साल से लेकर तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल अधिनियम, 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमानी और तर्कहीन कट-ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिन्दू-सिख, जैन-सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है।

मान्यवर, मैं प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके और उन्होंने राजनैतिक फायदों के लिए अपनी संस्कृति पर शर्मिंदगी होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता है। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात कब्जा किया गया था, उसे विगत सरकार द्वारा कानूनी रूप से सही ठहरा दिया गया है। मान्यवर, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे बंद नहीं कर सकती है।

महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतया अतार्किक, असंवैधानिक है और हिन्दू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR): The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Harnath Singh Yadav: Dr. Ashok Bajpai (Uttar Pradesh), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Uttar Pradesh), Shri Brijlal (Uttar Pradesh), Shri Kamakhya Prasad Tasa (Assam), Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra),

Shri Ghanshyam Tiwari (Rajasthan), Shri Pabitra Margherita (Assam), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shrimati Kanta Kardam (Uttar Pradesh), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Shri Ram Chander Jangra (Haryana).

Need for India's effective engagement in the Arctic Region

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, India fulfilled a long-standing need and signalled its rising interest and stakes in the Arctic with the release of the Arctic Policy on 17th March, 2022. The study of the Arctic is critical to the Indian scientists as it influences our monsoon which directly impacts agricultural sector on which almost 60 per cent of India's population is dependent. The rising sea levels due to the Arctic ice melt also threaten India's 1,300 island territories and the welfare of 1.4 billion Indians. The Arctic meltdown also helps Indian scientists better understand the glacier melt-down in the Himalayas, the largest source of fresh water outside the Poles and home to almost all the Indian perennial rivers. It is for this reason that India is the only developing country, apart from China, to have a Permanent Research Station in the Arctic since 2008 and has undertaken 13 scientific expeditions to the region.

The Arctic, therefore, presents India with a complex set of opportunities as well as challenges to secure its increasing national interest. Firstly, India should seek a more inclusive and equitable Arctic Council with a greater say for the Observer States in the decision making process and more freedom in pursuance of their research objectives in the Arctic Region.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

Secondly, India should also fine-tune its own internal mechanism to impart a greater impetus to its Arctic endeavours with a more singular, co-ordinated and cohesive approach by appointing an Arctic Co-ordinator. I urge upon the Government to co-ordinate its efforts in playing a pivotal role in the Arctic Region. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri A.D. Singh: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Shri Sujeet Kumar (Odisha).